रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2014/फाल्गुन 28, 1935
No. 700] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2014/PHALGUNA 28, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2014

का. आ. 824(अ).—निदेशक (विधिक माप विज्ञान), विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 3, नियम 4 और नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के प्रधान अधिकारियों को, अपने क्षेत्र के बाट और माप विनिर्माताओं से उनके उन मॉडलों के परीक्षण, जिसकी सुविधा उस प्रयोगशाला में उपलब्ध है, के लिए सीधे ही आवेदन प्राप्त करने के लिए, अधिसूचित और प्राधिकृत करते हैं।

2. मॉडल के अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन का रूपविधान इसके साथ संलग्न पहले रूपविधान में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन किसी बाट या माप के मॉडल का अनुमोदन के लिए उसके परीक्षण हेतु इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त करने के लिए निदेशक को दिए जाने वाले आवेदन का रूपविधान इसके साथ संलग्न दूसरे रूपविधान में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

4. यह अधिसूचना, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. डब्ल्यू.एम.-9(4)/2014]

मनोज कुमार परीड़ा, संयुक्त सचिव

पहला रूपविधान

[पैरा 2 देखें]

मॉडल अनुमोदन हेतु आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

1 (क) आवेदक का पूरा नाम तथा पता (यदि आवेदक भारत का निवासी नहीं है, तो भारत में उसके प्रतिनिधि का नाम और पता विनिर्दिष्ट करें)

(ख) बाट या माप, संबंधित श्रेणी तथा उस संभाव्य प्रयोग का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए बाट या माप को बनाया जाना आशायित है

(ग) बाट अथवा माप की विधिक माप-विज्ञान तथा तकनीकी विशेषताओं और गुणवत्ताओं से संबंधित आंकड़े

(घ) विनिर्माता द्वारा अपनाई गई परीक्षण प्रक्रिया

(ड.) बाट एवं माप का व्यापारिक नाम या प्रकार

(च) यदि बाट या माप में पूरक या अतिरिक्त यंत्र लगाए गए हैं, तो ऐसे पूरक या अतिरिक्त यंत्रों के संबंध में पूरी जानकारी जैसे कि उक्त बाट या माप संबंधी आरेख, विवरण

2. आवेदन के साथ निम्नलिखित की दो-दो प्रतियां होनी चाहिए; अर्थात् -

(क) बाट या माप के निर्माण के विवरण सहित ऐसे बाट या माप के सामान्य व्यवस्थाओं तथा स्थापना का स्केच तथा सेक्शन-वार आरेख, ऐसे तरीके से प्रस्तुत करें कि बाट या माप को संपूर्ण रूप में देखा जा सके

(ख) निम्नलिखित का ब्यौरा देने वाले दस्तावेज, अर्थात् -

(i) बाट या माप के निर्माण के सिद्धांत तथा प्रचालन की पद्धति:

(ii) बाट या माप के किसी कपटपूर्ण या अशुद्ध प्रचालन को रोकने के लिए उपलब्ध कराई गई सुरक्षा युक्तियां:

(iii) वह रीति जिसमें तथा ऐसी सीमा जिस तक बाट या माप को समायोजित या सही किया जा सकेगा:

(iv) वह स्थान जहां दोनों की सत्यापन मोहर या सील लगाई जाएगी:

(v) बाट या माप की योजनाएं या सामान्य व्यवस्थाएं तथा स्थापना आरेख तथा जहां आवश्यक हो, स्थापना संबंधी विस्तृत अनुदेश:

(vi) मॉडल के अनुमोदन सहित प्रकाशन के लिए फोटो:

(vii) कोई अन्य जानकारी, जिसे आवेदक मॉडल के कार्यनिष्पादन का आकलन करने तथा अनुमोदन को सुकर बनाने में उपयोगी समझता हो।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण: 'बाट या माप' पद के अन्तर्गत तोलन या मापन उपकरण भी है।

टिप्पण- आवेदन की दो प्रतियां नीचे दिए गए सभी तकनीकी विवरणों तथा सर्किट आरेखों (यदि लागू है) के साथ परीक्षण के लिए निदेशक, विधिक मापविज्ञान, 461 'ए', कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को या संबंधित क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला को भेजें:

- अंग्रेजी में प्रचालन मैनुअल:
- प्रत्येक मुद्रित सर्किट बोर्ड का सर्किट आरेख:
- वायरिंग आरेख:
- अंग्रेजी भाषा में अनुदेश मैनुअल:
- अंग्रेजी भाषा में अंशाकंन प्रक्रिया:

- प्रत्येक मुद्रित सर्किट बोर्ड तथा मिलते-जुलते पुर्जों की सूची का संघटक विन्यास:
- सॉफ्टवेयर का ब्लॉक आरेख:
- यांत्रिकी आरेख (सभी प्रकार के खंडित दृश्य):
- सभी अनुप्रयुक्त अंतरापृष्ठों की एक सूची:
- ऐसे स्थान का आरेख जहां और जिस प्रकार से उपयोगकर्ता द्वारा उपकरण को विखण्डित किए जाने तथा कैलीब्रेट किए जाने से सुरक्षित रखा जा सकता है:
- सभी संभव युक्तियों के विनिर्देश।

दूसरा रूपविधान

[पैरा 3 देखें]

विधिक मापविज्ञान के अधीन प्रयोगशाला की मान्यता के लिए आवेदन

(मॉडल अनुमोदन) नियम, 2011

मैं/हम .... की ओर से निम्नलिखित क्षेत्र में मॉडल अनुमोदन परीक्षण करने के लिए इस प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करने हेतु विधिक मापविज्ञान (मॉडल अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 4 के अधीन निदेशक, विधिक मापविज्ञान, भारत सरकार को आवेदन करता हूं/करते हैं।

मैं/हम ....वर्तमान में प्रवृत्त विधिक मापविज्ञान (मॉडल अनुमोदन) नियम, 2011 का अनुपालन करने का वचन देता हूं/देते हैं।

मैं/हम .... इस संबंध में निदेशक, विधिक मापविज्ञान द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

मैं/हम ....घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी प्रयोगशाला के संबंध में नीचे दिए गए विवरण सही है।

हस्ताक्षर ....
तारीख ....

प्रयोगशाला का विवरण

क्र.सं.	उपकरण	प्रयोग का क्षेत्र	बाट या माप का मॉडल जिसके लिए आवेदन किया गया है

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2014

S.O. 824(E).—In exercise of the powers conferred by rule 3, rule 4 and rule 5 of the Legal Metrology(Approval of Models) Rules, 2011, the Director (Legal Metrology) hereby notifies and authorises the principal officers of the recognized Laboratories to receive the applications from the manufacturers of weights and measures of their regions directly for testing of models for which the facility is available with that laboratory.

2. The format of application for making an application for approval of model shall be as specified in the First Format annexed hereto.

3. The format of application for making an application to the Director for recognition under these rules for carrying out tests for the approval of the model of any weight or measure under sub-rule (1) of rule 4 of the said rules shall be as specified in the Second Format annexed hereto.

4. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. WM-9(4)/2014]

MANOJ KUMAR PARIDA, Jt. Secy.

First Format

[See para 2]

Application for Approval of Model

(To be submitted in duplicate)

1 (a) Full name and address of the applicant (where the applicant is not resident of India, specify the name and address of his representative in India)

(b) A brief description of the weight or measure, the class to which it belongs and the probable use for which the weight or measure is intended to be produced.

(c) Data regarding metrological and technical characteristics and qualities of the weight or measure.

(d) Test procedure followed by the manufacturer.

(e) Trade name or type of the weight or measure.

(f) If the weight or measure is provided with supplementary or additional devices, full information with regard to such supplementary or additional devices, such as drawing, descriptions in relation to the said weight or measures.

2. Application shall be accompanied with two copies of the following; namely:—

(a) A sketch and section wise drawing of general arrangements and installation of such weight or measure including the details of construction of the weight or measure in such manner so as to enable the visualisation of the weight or measure in the finished form.

(b) Document describing the following, namely:—

(i) the principles of construction and the method of operation of the weight or measure:

(ii) the safety devices provided to prevent any fraudulent or inaccurate operation of the weight or measure:

(iii) the manner in which and the extent to which the weight or measure may be adjusted or corrected:

(iv) the place where the verification stamp or seal of both may be affixed:

(v) Plans or general arrangements and installations drawings of the weight or measure and where necessary detailed installation instructions:

(vi) Photographs for publication along with the approval of model:

(vii) Any other information, which the applicant may consider to be useful for assessing the performance and facilitating the approval of the model.

Signature of applicant

Note: The expression 'weight or measure' includes a weighing or measuring instrument.

Note: The application in duplicate with all the technical particulars and circuit diagram (if applicable) as given below shall be sent to the Director, Legal Metrology, 461A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 or to the respective Regional Reference Standards laboratories for testing:

- Operating manual in English:
- Circuit diagram of each printed circuit board:
- Wiring diagram:
- Instruction manual in the English language:
- Calibration procedure in the English language:
- Components layout of each printed circuit board and the matching parts lists:
- Block diagram of the software:
- Mechanical diagram (exploded views of all types):
- A list with all applied interfaces:
- A drawing with location where and how the instrument can be secured against dismantling and calibration by the user:
- Specifications of all possible devices.

Second Format

[See para 3]

Application for Recognition of Laboratory under the Legal Metrology

(Approval of Models) Rules, 2011

I/We………………………. on behalf of ……………. hereby make application to the Director, Legal Metrology, Government of India under Rule 4 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 for granting recognition to this laboratory for carrying out of model approval test in the following field.

I/We …………hereby undertake to comply with the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 as in force for the time being.

I/We …………..hereby agree to abide by the terms and conditions that may be specified by the Director, Legal Metrology in this behalf.

I/We……………hereby declare that the particulars of my/our laboratory given below are correct.

Signature………………………

Date………………..

PARTICULARS OF LABORATORY

Sr. No.	Equipment	Field of use	Model of Weight or Measure for which application is made

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2014

का. आ. 825(अ).—निदेशक (विधिक माप विज्ञान), विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट बाटों और मापों के मॉडलों का परीक्षण करने के लिए मान्यता प्रदान करते हैं और अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

(1)	(2)	(3)
क्रम. सं.	प्रयोगशालाएं	बाट तथा माप के मॉडल
1.	क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला , अहमदाबाद	(i) अस्वचालित आटोमैटिक भार तोलक उपकरणों जैसे यांत्रिक और इलैक्ट्रानिक भार तोलक उपकरण, (ii) स्वचालित भारमितीय भराई उपकरण iii) काउन्टर मशीन, (iv) ईंधन योजक पम्पस, (v) मापने का फीता, (vi) उच्चतर क्षमताओं वाले अनुमापी क्षमता मापक, (vii) आटो रिक्शा और टैक्सी मीटर, (viii) नैदानिक तापमामी, (ix) रक्तदाबमापी, (x) लिकर मापक, (xi) निदेशक, **विधिक** माप विज्ञान द्वारा अग्रेषित कोई अन्य बाट या माप
2.	क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलौर	
3.	क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	
4.	क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद	
5.	क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी	

2. (1) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट प्रयोगशालाएं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार परीक्षण करेंगी।

(2) प्रयोगशालाएं, प्ररूप और जांच सूची के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन की तकनीकी सिफारिशों का भी अनुसरण करेंगी और अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या अन्तर्राष्ट्रीय **इलैक्ट्रोटेक्निकल** कमेटी 17025 के उपबंधों का अनुपालन करेंगी।

(3) विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला का 'प्रधान अधिकारी' होगा।

[फा.सं. डब्ल्यू.एम. 9(4)/2014]

मनोज कुमार परीडा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2014

S.O. 825(E).—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Director (Legal Metrology) hereby recognizes and notifies the laboratories specified in column (2) of the Table as the Laboratories for testing the models of Weights and Measures specified in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
Sl. No.	Laboratories	Models of Weights and Measures
1.	Regional Reference Standards Laboratory, Ahmadabad,	(i) Mechanical and electronic weighing instruments like Non-Automatic weighing instruments, (ii) Automatic Gravimetric Filling Instrument, (iii) Counter Machine, (iv) Fuel dispensing pumps, (v) Measuring tapes, (vi) Volumetric capacity measures of higher capacities, (vii) Auto rickshaw and taxi meters, (viii) Clinical thermometers, (ix) Sphygmomanometers (B P Meters) (x) Liquor measures (Xi) Any other Weight or Measure, forwarded by Director, Legal Metrology.
2.	Regional Reference Standards Laboratory, Bangalore,	
3.	Regional Reference Standards Laboratory, Bhubaneswar,	
4.	Regional Reference Standards Laboratory, Faridabad	
5.	Regional Reference Standards Laboratory, Guwahati	

2. (1) The Laboratories referred to in column (2) of the said Table shall conduct the testing in accordance with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.

(2) The Laboratories shall also follow the technical recommendation of the International Organization of Legal Metrology regarding format and check list and comply with the provisions of International Organisation for Standardisation or International Electrotechnical Committee 17025.

3. The Head of Office recognised by the Department shall be construed as the 'Principal Officer' of the Laboratory.

[F. No. WM-9(4)/2014]

MANOJ KUMAR PARIDA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.